लारेंस के अपराध का कॉरपोरेट स्टाइल : फेसटाइम-सिग्नल से चलता था नेटवर्क

- 'डबल शूटर' प्लान से अपने ही गुर्गों पर नजर रखता था हैरी बाक्सर
- बड़े बिल्डर्स थे गैंग के निशाने पर, क्रिप्टो करेंसी के जरिए करते थे वसूली

इंदौर. क्राइम ब्रांच की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क और उसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली को लेकर कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं. पुलिस पूछताछ में लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैरी बाक्सर ने बताया कि गैंग द्वारा न केवल संगठित तरीके से रंगदारी वसूल की जाती थी, बल्कि अपने ही शूटरों पर भरोसा न करते हुए उनकी निगरानी के लिए अलग से बदमाशों की तैनाती तक की जाती थी.

पुलिस पूछताछ में हैरी बाक्सर ने बताया कि किसी भी बड़ी वारदात से पहले रेकी करने वाले सदस्यों की भी निगरानी एक अलग टीम द्वारा की जाती थी, ताकि किसी तरह की चूक या अंदरूनी गड़बड़ी की संभावना खत्म की जा सके. इसी सख्त और खौफनाक व्यवस्था के चलते कई बदमाश दबाव में आकर पुलिस के सामने सरेंडर करने तक पहुंचे. पूछताछ में उसने यह भी बताया कि शहर के एक बड़े बिल्डर से गैंग ने करीब 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूली थी. यह रकम सीधे नकद न लेकर क्रिप्टोकरेंसी के जरिए विदेश भेजी गई और वहां से नेटवर्क के सरगना तक पहुंचाई गई. दहशत के कारण पीड़ित बिल्डर ने अब तक पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

गैंग का अगला निशाना था रेसकोर्स रोड क्षेत्र का एक बिल्डर

हैरी बाक्सर ने पुलिस को बताया कि जेल में रहते हुए ही एक आरोपी ने देवास के बदमाशों के माध्यम से बिल्डर की रेकी करवाई थी. गैंग का अगला संभावित निशाना रेसकोर्स रोड क्षेत्र में रहने वाला एक अन्य बिल्डर था, जिसके लिए जीतनगर के एक आरोपी को रेकी की जिम्मेदारी दी गई थी. योजना के अनुसार इशारा मिलते ही फायरिंग की तैयारी पूरी कर ली गई थी. गैंग के सदस्य आपसी संपर्क के लिए फेसटाइम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते थे, जिससे उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो सके.

हैरी बाक्सर ने ही कराई थी बायो कॉटन कारोबारी के घर गोलीबारी

फायरिंग से जुड़े एक अन्य मामले में भी हैरी ने स्वीकार किया है कि बायो कॉटन कारोबारी के घर हुई गोलीबारी में उसकी भूमिका रही थी. बताया गया कि 50 लाख रुपए के लेनदेन विवाद की जानकारी गैंग तक पहुंचने के बाद पीड़ित को 10 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी दी थी. इस मामले में पुलिस ने देवास से एक अन्य सहयोगी को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

रतलाम जिले का निवासी है हैरी, एक नेता का ड्रायवर रह चुका

इससे पहले भी आरोपी का नाम पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर हमले जैसे गंभीर मामलों में सामने आ चुका है, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर चुकी है. जानकारी के अनुसार आरोपी मूल रूप से रतलाम जिले के एक गांव का रहने वाला है. शुरुआत में वह एक स्थानीय नेता के यहां ड्राइवर के रूप में कार्यरत था और बाद में स्कूल संचालन से भी जुड़ा रहा. आर्थिक तंगी के चलते वर्ष 2021 के बाद वह अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ और धीरे-धीरे संगठित गिरोह से जुड़ गया.

लोकायुक्त द्वारा घूस लेते पकड़े गए 3 अधिकारी निलंबित

- पीडब्ल्यूडी रिश्वत कांड में कार्रवाई तेज

टीके जैन | अंशु जैन | जयदेव गौतम

इंदौर. लोकायुक्त पुलिस इंदौर की ट्रैप कार्रवाई में रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तीन अधिकारियों को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यालय से निलंबन आदेश जारी किए हैं.

निलंबित अधिकारियों में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जयदेव गौतम, एसडीओ टी.के. जैन और सब इंजीनियर अंशु दुबे शामिल हैं. यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद की गई प्रशासनिक कार्रवाई के तहत की गई है. लोकायुक्त पुलिस ने पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जयदेव गौतम को पलासिया स्थित शासकीय आवास पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था. इसी कार्रवाई के दौरान एसडीओ टीके जैन को विभागीय कार्यालय परिसर में 1 लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया था. वहीं सब इंजीनियर अंशु दुबे पर 1 लाख रुपए की मांग का आरोप था, हालांकि तय राशि से कम रकम मिलने पर उसने राशि नहीं ली, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका.

बिल भुगतान के एवज में ठेकेदार से ले रहे थे 3.5 लाख की घूस

मामला धार जिले के ठेकेदार राजपाल सिंह पवार (संचालक पटेल श्री इंटरप्राइजेस) की शिकायत पर सामने आया था. शिकायत में बताया गया था कि उनकी फर्म द्वारा वर्ष 2023 में करीब 4.73 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण कार्य किया था. कार्य पूर्ण होने के बाद अंतिम बिल भुगतान के एवज में 3.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी. शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया और दो अधिकारियों को मौके से पकड़ लिया. लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय की रिपोर्ट के आधार पर राज्य शासन ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड : आंकड़ों में उलझी जांच

- धीमी गवाही और धाराओं पर विवाद

इंदौर. शिलॉन्ग मर्डर केस (राजा रघुवंशी हत्याकांड) में जांच और न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उपलब्ध आंकड़े मामले की धीमी प्रगति और कानूनी पेचीदगियों को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहे हैं, जिससे केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

जानकारी के अनुसार, इस मामले में कुल 90 गवाहों में से पिछले 10 महीनों में सिर्फ 4 गवाहों की ही गवाही दर्ज हो सकी है. यह आंकड़ा ट्रॉयल की बेहद धीमी गति को दर्शाता है और न्याय प्रक्रिया की समयबद्धता पर सवाल खड़े करता है. इसी तरह मामले में कानूनी धाराओं के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद सामने आया है. आरोप है कि हत्या जैसे गंभीर प्रकरण में अपेक्षित प्रावधानों के बजाय धारा 103 की जगह धारा 403 जैसे प्रावधान लगाए जाने पर आपत्ति जताई जा रही है, जिसे केस की दिशा और प्रकृति बदलने वाला कदम बताया जा रहा है. कानूनी जानकारों के अनुसार, यह बदलाव न सिर्फ आरोपों की गंभीरता को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी जांच और अभियोजन की रणनीति पर भी असर डाल सकता है.

जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल

इधर सुनवाई के दौरान कोर्ट में वकीलों और न्यायाधीश के बीच तीखी बहस की स्थिति भी सामने आई, जिससे कार्यवाही प्रभावित होने की बात कही जा रही है. वहीं गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. कुल मिलाकर यह मामला अब केवल एक हत्या की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यशैली, कानूनी धाराओं के चयन और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

एक नजर में

शराब दुकान के विरोध में हाथों में लाठियां लेकर पहुंचीं महिलाएं

महू. पीथमपुर रोड पर भाटखेड़ी पंचायत क्षेत्र इन दिनों एक ऐसे विवाद का केंद्र बन गया है, जहां फैसला कागजों में कुछ, तथा जमीन पर कुछ और नजर आ रहा है. चिनार वैली-अदिति विहार और कॉसमॉस कॉलोनी के बीच प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर जिस मुद्दे पर कुछ दिन पहले तक सहमति और आश्वासन की बात हो रही थी, वहां अब मामला फिर टकराव में बदल गया है. कुछ दिन पहले महिलाओं के विरोध के बाद स्थिति गरमा गई थी और चक्काजाम किया गया था. नतीजा यह हुआ कि पांच महिलाओं पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई. इसके बाद ठेकेदार की ओर से यह भरोसा दिया गया था कि विवादित स्थान पर शराब दुकान नहीं खोली जाएगी. मामला ठंडा पड़ता दिखा, लेकिन यह शांति सिर्फ दिखावे की साबित हुई. बीती रात अचानक चिनार वैली-अदिति विहार के पास एक कंटेनर लाकर खड़ा कर दिया गया और उसे ही शराब दुकान में तब्दील कर दिया गया. एक छोटी खिड़की से बिक्री शुरू हुई और बाहर बैनर लगाकर इसे वैध देशी कम्पोजिट रूप दे दिया गया. जैसे ही यह खबर फैली तो महिलाओं का गुस्सा फिर फूट पड़ा. करीब 30-40 महिलाएं हाथों में लाठियां लेकर मौके पर पहुंच गईं और विरोध शुरू कर दिया. महिलाओं का साफ कहना है कि यह उनके क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा और परिवारों के भविष्य का सवाल है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

आशा कला केंद्र में नि:शुल्क आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस आज से

महू. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के आंचलिक कार्यालय महू द्वारा 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस का आयोजन किया जा रहा है. यह कक्षाएं 1 से 15 मई तक आयोजित होंगी. कार्यक्रम का शुभारंभ 1 मई को सुबह 11 बजे आशा कला केंद्र, 330, मेन स्ट्रीट महू में किया जाएगा. उद्घाटन आशा कला केंद्र के अध्यक्ष एवं समाजसेवी योगेश मुंद्रा द्वारा किया जाएगा. संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इन कक्षाओं का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारना और उन्हें कला एवं शिल्प के विभिन्न आयामों से परिचित कराना है. इच्छुक विद्यार्थियों से समय पर उपस्थित होकर इस नि:शुल्क प्रशिक्षण का लाभ लेने का आग्रह किया गया है.

स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नृसिंह, गूंजा जयघोष

महू. शहर में भगवान श्री नृसिंह प्रगटोत्सव श्रद्धा, आस्था और भक्ति के माहौल में धूमधाम से मनाया गया. मेन स्ट्रीट स्थित श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर एवं सागी स्ट्रीट के गोपाल मंदिर में सुबह से ही विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना का क्रम प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा. शहर में शाम के समय दोनों मंदिरों में भगवान नृसिंह के प्रकट होने की लीला का भव्य मंचन किया गया. प्राचीन नृसिंह मंदिर में शाम 6.30 बजे प्रतीकात्मक रूप से स्तंभ (दीवार) को तोड़कर भगवान के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें नरसिंह भगवान के भेष में अश्वनी शर्मा एवं प्रहलाद के भेष में अंश अंकित विजयवर्गीय थे, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा. वहीं गोपाल मंदिर में शाम 7 बजे भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए. इस दौरान भक्त प्रह्लाद की लीला का सजीव मंचन किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए. इस अवसर पर भव्य चल समारोह भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. जय श्री नृसिंह के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. मंदिरों के पं. रोशनलाल शर्मा एवं राजेश शास्त्री ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया. महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया. पूरे आयोजन को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया, जिससे वातावरण पूर्णत: भक्तिमय हो गया. मेन स्ट्रीट व्यापारियों द्वारा फलाहारी सिंघाड़े के हलवे का प्रसाद श्रृद्धालुओ को वितरित किया गया.

जेल से छूटे दोस्त की शराब पार्टी में शामिल होने गए युवक की हत्या

- दो गुटों के झगड़े में बीच बचाव करने के दौरान चाकुओं से गोदा
- अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ दिया दम

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र के रविदास नगर में बुधवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. युवक दो गुटों के झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंचा था, बदमाशों के गुस्से का शिकार हो गया. बदमाशों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गुरुवार तड़के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक का नाम मनीष पिता कालू सुनहरे उम्र 22 साल निवासी रविदास नगर है. वह डेकोरेशन का काम करता था. बताया जा रहा है कि मनीष बीती रात इलाके में रहने वाले अपने दोस्त ऋषभ पवार की पार्टी में गया था. ऋषभ हाल ही में हत्या के प्रयास के मामले में जेल से छूटकर आया था. इसी

की खुशी में उसने अपने घर पर शराब पार्टी रखी थी. पार्टी के दौरान घर के बाहर किसी बात को लेकर कुछ युवकों का आपस में विवाद हो गया.

रात करीब 12 बजे मनीष अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ पाउच लेने के लिए निकला था. घर से कुछ दूरी पर उसने कुछ युवकों को आपस में झगड़ते देखा. मनीष ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद कर रहे युवक उस पर ही पिल पड़े.

मुख्य आरोपी कृष्णा ठाकुर और उसके साथियों ने मनीष पर चाकुओं से हमला कर दिया. मनीष के पैरों पर तीन से अधिक वार किए गए, जिससे उसकी नसें कट गई और अत्यधिक खून बह जाने से वह वहीं गिर पड़ा. परिजन उसे तुरंत एमवाय अस्पताल ले गए, जहां गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया.

लिस्टेड बदमाश है मुख्य आरोपी, उस पर कई मामले हैं दर्ज

हीरानगर थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि मुख्य आरोपी कृष्णा ठाकुर इलाके का लिस्टेड बदमाश है और उस पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह नशे का आदी भी बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और घटना से जुड़े अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.

गिरवी फ्लैट का सौदा कर दंपती ने ऐंठे 6.50 लाख

इंदौर. अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक दंपति ने बैंक में गिरवी रखे फ्लैट का सौदा कर फरियादी से लाखों रुपए ऐंठ लिए. अब रुपये वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी दंपती की तलाश शुरू कर दी है.

अन्नपूर्णा थाना प्रभारी हित गोपाल ने बताया कि फरियादी सुनीता हरीश पाल निवासी ग्राम सिरपुर की रिपोर्ट पर आरोपी संगीता मोटवानी और उसके पति कमल पिता मंशाराम मोटवानी निवासी सिल्वर पैलेस कॉलोनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. फ़रियादी सुनीता ने पुलिस को बताया कि 5 जून 2025 को आरोपियों ने सिल्वर पैलेस कॉलोनी स्थित अपने फ्लैट का सौदा उनसे किया था. सौदे के एवज में आरोपियों ने सुनीता से 6.50 लाख रुपए भी ले लिए. बाद में जब सुनीता ने पड़ताल की, तो पता चला कि आरोपियों ने इस फ्लैट को सौदे से पहले ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिरवी रखकर लोन ले रखा था. हकीकत सामने आने पर जब सुनीता ने अपने रुपए वापस मांगे और अनुबंध तोड़ने पर आपत्ति जताई, तो आरोपी दंपती अपनी असलियत पर उतर आए. उन्होंने रुपए लौटाने से साफ इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुमसे जो बने वो कर लो.

ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से मोबाइल चोर धराया

इंदौर. ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता से मोबाइल चोरी का आरोपी कुछ ही देर में दबोच लिया. फरियादी ने पुलिस टीम की तुरंत कार्रवाई पर आभार जताया.

राजवाड़ा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के दौरान ज़ोन-4 की व्हील लॉक टीम ड्यूटी पर तैनात थी. इसी दौरान एक व्यक्ति ने पहुंचकर बताया कि उसका मोबाइल अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया है और उसने इस संबंध में सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. फरियादी ने मौके और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध का हुलिया भी बताया. जानकारी मिलते ही ट्रैफिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए राजवाड़ा और आसपास के इलाके में घेराबंदी कर तलाश शुरू की. कुछ देर की मशक्कत के बाद संदिग्ध युवक को पकड़ लिया. आरोपी को तत्काल सदर बाजार थाना की एफआरबी टीम को सौंप दिया.

नौकरी का झांसा देकर रेप, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

- वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल
- अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर किया दुष्कर्म

इंदौर. नौकरी के नाम पर झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन गर्भपात का मामला सामने आया है. आरोपी पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बना रहा था. पलासिया पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को की शिकायत में युवती ने बताया कि उसकी पहचान सितंबर 2022 में सोहेल उर्फ लकी से हुई थी. युवक ने दोस्ती कर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. 20 दिसंबर 2023 को वह तिलक नगर स्थित उसके घर पहुंचा और नशीला पदार्थ देकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया. इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया.

हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची पीड़िता

युवती ने बताया कि आरोपी सोहेल ने जून 2025 में उसे पीथमपुर क्षेत्र में रखा. यहां एक दिन वह नौशाद नाम के व्यक्ति के पास ले गया, जहां कुछ अनुष्ठान कराए और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. मना करने पर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. परेशान होकर पीड़िता हाल ही में एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची. इस दौरान श्रीराजपूत करणी सेना से जुड़े मानसिंह राजावत, रक्षा शुक्ला, ऐश्वर्या शर्मा, गोलू मौर्य, मृत्युंजय सिंह और उदय सिलावट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी अलग-अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता रहा, मार्च 2024 में उसे अजमेर ले जाकर धार्मिक गतिविधियों में शामिल करने और दबाव बनाने की बात भी कही गई है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2024 में गर्भ ठहरने पर शादी की बात करने पर आरोपी ने मारपीट की और जबरन गर्भपात करा दिया, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया.

एक नजर में — गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है केंद्र एवं राज्य सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर

पहले वृद्धा पेंशन अब गरीब परिवारों का राशन बंद होने की शिकायतें

इंदौर. केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के दावे करती रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से अलग नजर आ रही है. पहले वृद्धा पेंशन बंद होने की शिकायतें सामने आती रहीं, अब गरीब परिवारों का राशन बंद होने का मामला भी सामने आ रहा है. यह एक अत्यंत गंभीर विषय है. केंद्र और राज्य सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का यह अंतर गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है.

ताजा मामला वार्ड 67 स्थित अर्जुनपुर मल्टी से सामने आया है. यहां गरीब परिवारों का राशन बंद करने की शिकायतें मिली हैं. लालबाग पैलेस के सामने बनी इस मल्टी में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार बड़ी संख्या में निवास करते हैं. क्षेत्र के कई पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बिना कारण बंद कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा. हितग्राहियों के अनुसार उनके पास मजदूर डायरी, समग्र आईडी और आवश्यक दस्तावेज होने के बावजूद उनके नाम सूची से हटा दिए गए. शिकायतों के बाद भी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी क्षेत्र में जांच के लिए नहीं पहुंच रहे, इससे प्रशासन की अनदेखी साफ दिखाई देती है. गरीबों की इस समस्या का निदान करने के लिए जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय पार्षद भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं. रहवासियों ने प्रशासन से बंद राशन कार्डों की जांच कर पात्र परिवारों का राशन जल्द शुरू करने की मांग की है.

हितग्राहियों का कहना...

मेरी 65 और मेरे पति की 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, घर में हम दोनों बुजुर्ग पति-पत्नी हैं, कोई अन्य सहारा भी नहीं है. ऐसे में हमारा राशन कई महीनों से बंद कर दिया गया है, हमारे सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है.
- मुन्नी बाई जमदार

हम गरीब लोग मजदूरी कर घर चलाते हैं, बिना वजह यहां कई परिवारों का सरकारी राशन बंद कर दिया गया. महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है. कई बार शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.
- शांती बाई कदम

मेरी पत्नी के नाम से राशन मिलता था, जो अचानक बंद कर दिया गया. हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, जो जमा कर दिए गए हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं.
- विक्की राठौर